भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2451
जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025 (24 अग्रहायण, 1947(शक)) को दिया जाना है

"जाली पैन और आधार कार्ड का उपयोग करके धोखाधड़ीपूर्ण जीएसटी पंजीकरण**"**

2451. श्री मड्डीला गुरुमूर्तिः

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान जाली पैन और आधार पहचान का उपयोग करके धोखाधड़ी वाले जीएसटी पंजीकरण की संख्या कितनी है;

(ख) चिहिनत किए गए ऐसे नकली पंजीकरणों की कुल संख्या कितनी है और इसमें अनुमानित कर अपवंचन कितना है;

(ग) क्या सरकार ने फर्जी बिलिंग गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत पहचान के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए कोईराष्ट्रव्यापी सत्यापन या संपरीक्षण किया है;

(घ) सरकार द्वारा सत्यापन प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और भविष्य में ऐसे धोखाधड़ी वाले जीएसटी पंजीकरणों को रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या इन धोखाधड़ी गतिविधियों के संबंध में कोई गिरफ्तारी, अभियोजन या दोषसिद्धि हुई है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और जवाबदेही तय करने के लिए कौन-से कदम प्रस्तावित हैं?

उत्तर
वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री पंकज चौधरी)

(क) और (ख) जाली पैन और आधार कार्डों का उपयोग करके किए गए फर्जी पंजीकरणों और अनुमानित कर चोरी का विवरण नीचे सारणीबद्ध रूप में दिया गया है:

अवधि	जाली पैन और आधार कार्डों का उपयोग करके पहचान किए गए फर्जी पंजीकरणों की संख्या	पता लगाई गई राशि (₹ करोड़ में)
2023-24	5699	15085
2024-25	3977	13109
2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)	489	3013

(ग) और (घ) जीएसटी पंजीकरण और फर्जी बिलिंग गतिविधियों के लिए व्यक्तिगत दस्तावेजों के दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार द्वारा चलाए गए अभियानों और उठाए गए उपायों का विवरण निम्नलिखित है:

(i) केंद्रीय और राज्य कर प्रशासनों द्वारा फर्जी पंजीकरणों और आयकर कर (आईटीसी) के धोखाधड़ीपूर्ण उपयोग के खिलाफ समन्वित कार्रवाई हेतु दिनांक 16.05.2023 से 14.08.2023 और 16.08.2024 से 30.10.2024 की अवधि के लिए अखिल भारतीय स्तर पर दो विशेष अभियान चलाए गए। फर्जी/अस्तित्वहीन पंजीकरणों के खिलाफ चलाए गए इस अभियान में कर अधिकारियों की विधिवत गठित टीमों द्वारा करदाताओं के व्यावसायिक परिसरों का भौतिक सत्यापन शामिल था। इस विशेष अभियान के दौरान, अस्तित्वहीन जीएसटीआईएन की पहचान की गई और उन्हें निलंबित/रद्द कर दिया गया;

(ii) डेटा विश्लेषण और जोखिम-आधारित मानदंडों द्वारा संचालित बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण को पूरे देश में जीएसटी पंजीकरण आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए लागू किया गया है;

(iii) सभी पंजीकरण आवेदनों को डेटा विश्लेषण और जोखिम मानदंडों के आधार पर प्रणाली द्वारा जोखिम रेटिंग प्रदान की जाती है। यह रेटिंग सीबीआईसी के क्षेत्रीय संरचनाओं को उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे उचित सत्यापन कर सकें और आवेदन की प्रक्रिया आगे बढ़ा सकें;

(iv) नए पंजीकरणों के लिए आवेदक के व्यवसाय स्थल की जियो-टैगिंग करने की आवश्यकता पोर्टल पर प्रदान की गई है। यह जोखिम मूल्यांकन और संदिग्ध आवेदकों/करदाताओं की पहचान करने में मदद करता है;

(v) पंजीकरण प्रक्रिया के एक भाग के रूप में बैंक खाता विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। खाता पंजीकृत व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए, जो पंजीकृत व्यक्ति के पैन पर प्राप्त किया गया हो और यदि यह एक स्वामित्व फर्म है, तो इसे आधार से लिंक किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, बैंक खाते का विवरण पंजीकरण के स्वीकृत होने के 30 दिनों के भीतर या बाहरी आपूर्ति के विवरण दाखिल करने से पहले, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किया जाना चाहिए;

(vi) निर्धारित समय के भीतर वैध बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले व्यक्तियों के पंजीकरण के सिस्टम-आधारित निलंबन का प्रावधान किया गया है;

(vii) जिन मामलों में छह महीनों से रिटर्न दाखिल नहीं किए गए हैं, वहां पोर्टल पर सिस्टम-आधारित पंजीकरण निलंबन किया जाता है;

(viii) यह सुनिश्चित करने के लिए कि फर्जी पंजीकरण न किए जाएँ, पते के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की प्रामाणिकता सार्वजनिक रूप से उपलब्ध स्रोतों, जैसे संबंधित प्राधिकरणों, भूमि रजिस्ट्री, बिजली वितरण कंपनियों, नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों की वेबसाइटों से सत्यापित की जाती है;

(ix) विश्लेषण और जोखिम प्रबंधन महानिदेशालय (डीजीएआरएम) ने जीएसटी पंजीकरण के समय स्वामित्व वाली फर्मों द्वारा प्रदान की गई डिजिटल जानकारी में विसंगतियों की पहचान करने के लिए एक अभ्यास शुरू किया है। उन जीएसटी पंजीकरणों की पहचान की जाती है, जहाँ व्यक्तिगत विवरणों जैसे कि पैन के दुरुपयोग की आशंका है। इन संदिग्ध जीएसटीआईएन को उचित सत्यापन के लिए क्षेत्रीय संरचनाओं के साथ साझा किया जाता है। इसके अलावा, डीजीएआरएम उन जोखिम भरे करदाताओं की पहचान पर भी ध्यान केंद्रित करता है जो केवल फर्जी/बोगस चालान बनाने और आपूर्ति श्रृंखला में अनुपयुक्त आईटीसी को हस्तांतरण करने के लिए बनाए गए हैं।

(ङ) गिरफ्तारी और अभियोजन के विवरण इस प्रकार हैं:

अवधि	गिरफ्तार किये गए व्यक्तियों की संख्या	प्रारंभ किए गए अभियोजन
2023-24	67	53
2024-25	50	33
2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)	16	8

****